

UPGK010050622026



न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र सं0-2201/2026

श्याम प्रकाश दुबे उर्फ पिन्दू, पुत्र अश्वनी दुबे उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम- बहादुरपुर, थाना- बेलघाट, जिला- गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं0-55/2026

धारा- 318(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता,

थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर।

आदेश

1. जमानत का यह प्रार्थना-पत्र, आवेदक/अभियुक्त श्याम प्रकाश दुबे उर्फ पिन्दू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध सं0-55/2026, धारा-318(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सीताराम हरिजन पुत्र स्व अभिराज हरिजन का खाता सं0 347009XXXXX स्टेट बैंक सिकरीगंज में है। प्रार्थी अपने ATM Card से दिनांक 11.02.2026 को पैसा निकालने P.N.B. बैंक सिकरीगंज के ATM पर लगभग शाम 4 और 5 के बीच में गया था। वहाँ पर पहले से खड़े अज्ञात व्यक्ति ने जानकारी देने के नाम पर धोखे से मेरा ATM Card बदल दिया और अपना ATM Card जिस पर अब्दूल जब्बार अंसारी का ATM Card दे दिया मेरे ATM को बदलकर जालसाज द्वारा दो दिन में मेरे ATM से मेरे खाते से 2,10,000/- रुपया लगभग निकाल लिया गया है। जालसाज द्वारा उरुवा, महदेवा, सिकरीगंज, बेलघाट गोरखपुर और सोनौली तक से पैसा निकाला गया है। प्रार्थी आर0पी0एफ0 से रिटायर्ड बुजुर्ग हूँ।

3. दिनांक 14.04.2026 को उ०नि० कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराहियान अन्य पुलिसकर्मीगण द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर वहद स्थान जाईपार पुल के पास स्लीप रोड पर पहुंचकर अपने आपको छिपते छिपाते हुए पुल के नीचे खड़े उन चारों व्यक्तियों के पास एकाएक पहुंचे कि पुलिसवालों को अचानक देखकर सकपका गये और इधर-उधर भागने लगे, उनमें से 03 व्यक्तियों को घेर-घार कर हिकमत अमली से मौके पर ही पकड़ लिया गया परन्तु एक व्यक्ति रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो 1. मोहित साहनी पुत्र राजू साहनी, 2. सुरजीत उर्फ छोटेलाल पुत्र रामबृक्ष, 3. श्याम प्रकाश दूबे उर्फ पिन्दू पुत्र

अश्वनी दूबे बताए व उनकी जामा तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 1. मोहित साहनी पुत्र राजू साहनी के कब्जे से 04 अदद एटीएम कार्ड, एक अदद सैमसंग मोबाइल व 35,700/- रूपए नगद, 2. सुरजीत उर्फ छोटेलाल के कब्जे से 06 अदद एटीएम कार्ड, एक अदद मोबाइल फोन व 29,400/- रूपए नगद व 3. श्याम प्रकाश दूबे उर्फ पिन्टू के कब्जे से 04 अदद एटीएम कार्ड, एक अदद मोबाइल व 27,300/- रूपए नगद बरामद किए गए। पुनः कड़ाई से पूछने पर तीनों व्यक्ति बताए कि भागने वाले व्यक्ति का नाम सुधीर कुमार सैनी पुत्र राममूरत सैनी है वह भी हम लोगों के साथ घटना में शामिल रहता है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि मुकामी पुलिस ने फर्जी तरीकें से फँसा दिया है। आवेदक/अभियुक्त टैम्पो चालक है और उसी से अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 14.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त के निरुद्धगी से आवेदक/अभियुक्त का परिवार भरण-पोषण का मोहताज हो गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई थी, बल्कि मुकामी पुलिस ने फर्जी बरामदगी दिखाकर आवेदक/अभियुक्त का चालान उपरोक्त मुकदमें में कर दिया। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी व धोखाधड़ी कारित किया जाता है। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तदनुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी का भी कोई स्वतंत्र साक्षी नामित नहीं किया गया है और न ही बरामदशुदा सामान की कोई शिनाख्त करायी गयी है। यद्यपि अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसे किसी भी मामले में अब तक दोषसिद्ध होना नहीं बताया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आवेदक/अभियुक्त अन्यथा जमानत प्राप्त कर सकता है तो मात्र आपराधिक पृष्ठभूमि होने से उसके जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 14.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है। प्रस्तुत मामले के सह-अभियुक्त मोहित साहनी का नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र दिनांक 02.06.2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

8. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये योग्य है।

9. तदनुसार आवेदक/अभियुक्त श्याम प्रकाश दुबे उर्फ पिन्टू की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2201/2026 स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0-25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये-

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्ध-पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिन्न व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विवेचना के दौरान जब विवेचनाधिकारी बुलायेगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक: 05.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-UP1889